43
15/4/19

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) निर्माण सदन कमरा नं0 206 52 ए अरेरा हिल्स भोपाल 462 011

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755 2 55 31 49 E mail ddimplbho-mp@nic.in

सं0 19/ 1 / 18 / क्षे0का0का0भोपाल/ 81-135 अप्रैल 10 / 2019

सेवा में

अध्यक्ष,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ ।

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में ।

महोदय,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय संसदीय राजभाषा समिति एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग मुख्यालय नई दिल्ली के विद्यमान निदेशों के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है। अधिकांशतः यह देखने में आया है कि कार्यालय प्रमुख नराकास की बैठकों में स्वयं भाग न लेकर अपने स्थान पर अगले उच्च अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी / कर्मचारी को भाग लेने हेतु भेज देते हैं, जो कि उपर्युक्त निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः ऐसी स्थिति में जिन सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख स्वयं इन बैठकों में भाग नहीं लेते हैं उक्त सदस्य कार्यालय को अनुपस्थित ही माना जाता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने सदस्य सचिव को निदेश देने का कष्ट करें कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर नराकास की बैठक में जो कार्यालय प्रमुख स्वयं शामिल नहीं हुए हों तथा जो सदस्य कार्यालय पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहें हों उनकी सूची इस कार्यालय को ई मेल / हार्ड कॉपी के माध्यम से भिजवाएं ताकि उपर्युक्त अनुपस्थिति संबंधी जानकारी माननीय संसदीय राजभाषा समिति नई दिल्ली एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग मुख्यालय नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके ।

उल्लेखनीय है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति जब भी किसी नराकास / संस्थान के राजभाषा निरीक्षण पर आती है तो कार्यालय / संस्थान के कार्यालय प्रमुख की नराकास की बैठक में अनुपस्थिति संबंधी जानकारी देने का पूर्ण उत्तरदायित्व नराकास सचिवालय पर ही होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि नराकास की बैठकों में कार्यालय अथवा कार्यालय प्रमुख की अनुपस्थिति की सूची अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवश्य प्रेषित की जाए एवं इसका रिकार्ड भी नराकास सचिवालय में रखा जाए ताकि माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके । अतः इस संबंध में आपकी नराकास द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है ।

भ व दी य,

10.4.19

(हरीश सिंह चौहान)

सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष

Scanned with Oken Scanner